प्रेस नोट

थाना - पिलखुवा   दिनांक 16-03-2023

- **थाना पिलखुवा पुलिस ने गुमशुदा सुशील कुमार की हत्या का सफल अनावरण करते हुए एक महिला सहित 03 हत्यारोपियों को किया गिरफ्तार ।**
- **जिनके कब्जे/निशांदेही पर मृतक के कपड़े व घटना में प्रयुक्त 03 मोबाईल फोन, अंगोछा, एक मोटर साइकिल बरामद ।**
- **गुमशुदा सुशील का शव दिनांक 21.02.23 को थाना कपूरपुर क्षेत्रांतर्गत नगर में लावारिश हालत में मिला था ।**
- **गिरफ्तार अभियुक्तों ने अवैध संबंधों के चलते योजनाबद्ध तरीके से की थी सुशील की हत्या ।**

सक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 26.02.2023 को मृतक सुशील की बहन द्वारा खुद के भाई सुशील के बिना बताये घर से चले जाने के सम्बन्ध में थाना पिलखुवा पर गुमशुदगी अंकित करायी गयी थी । दिनांक 21/2/2023 को थाना कपूरपुर क्षेत्र में नहर मे एक अज्ञात शव मिला था जिसकी पहचान सुशील के रुप में हुई थी । जिसके आधार पर थाना पिलखुवा पर मु0अ0सं0 111/23 धारा 302/201 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीमों का गठन कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये थे ।

कार्यवाहीः-

हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना पिलखुवा पुलिस द्वारा गुमशुदा सुशील हत्याकांड का सफल अनावरण करते हुए एक महिला सहित 03 हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे/निशांदेही पर मृतक के कपड़े व घटना में प्रयुक्त 03 मोबाईल फोन, अंगोछा, एक मोटर साइकिल बरामद हुए हैं । उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना पिलखुवा पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि मृतक सुशील कुमार व अभियुक्ता कृष्णा के मध्य अवैध सम्बन्ध थे तथा इसी दौरान अभियुक्त संजय जो थाना कपूरपुर का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है के अवैध सम्बन्ध भी अभियुक्ता कृष्णा से हो गये थे, जिसका विरोध मृतक सुशील द्वारा किया जाने लगा तथा इसी बात के कारण अभियुक्त संजय व कृष्णा द्वारा अभियुक्त शेर सिंह के साथ मिलकर सुशील कुमार की हत्या करने की योजना बनायी तथा योजनाबद्ध तरीके से अभियुक्तों द्वारा सुशील की अंगोछे से गला घोटकर हत्या कर शव को इकलेडी नहर में फेंक दिया था एवं पहचान छिपाने के उद्देश्य से सुशील के कपडे उताकर जंगल में फैंक दिये थे ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. संजय कुमार पुत्र प्रताप सिहं निवासी ग्राम समाना थाना कपूरपुर जनपद हापुड। (हिस्ट्रीशीटर 43ए)
2. शेर सिहं पुत्र सुखपाल सिहं हाल निवासी भोवापुर थाना पिलखुवा जनपद हापुड, स्थायी निवासी ग्राम समाना थाना कपूरपुर जनपद हापुड।
3. कृष्णा पत्नी स्व0 मनोज कुमार निवासी बसन्त विहार पीतल नगरी थाना कटघर जनपद मुरादाबाद

बरामदगी का विवरणः-

घटना में प्रयुक्त 03 मोबाईल फोन, अंगोछा व एक मोटरसाइकिल स्प्लेन्डर प्लस।

गिरफ्तार अभियुक्त संजय (एच0एस0- 43ए ,थाना कपूरपुर) का आपराधिक इतिहासः-

1-मु0अ0स0 99/18 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना धौलाना जनपद हापुड।
2-मु0अ0सं0 102/18 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना धौलाना जनपद हापुड।
3-मु0अ0सं0 169/18 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना धौलाना जनपद हापुड।
4-मु0अ0सं0 206/19 धारा 34/363/368/376/366 भादवि व 16,17,3,4 पोक्सो एक्ट थाना धौलाना हापुड।
5-मु0अ0सं0 111/23 धारा 302/201 भादवि थाना पिलखुवा जनपद हापुड।

गिरफ्तार अभियुक्त शेर सिहं का आपराधिक इतिहास :-

1.मु0अ0स0 990/10 धारा 401भादवि थाना मझौला जनपद मुरादाबाद।
2.मु0अ0सं0 991/10 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना मझौला जनपद मुरादाबाद।
3.मु0अ0सं0 111/23 धारा 302/201 भादवि थाना पिलखुवा जनपद हापुड।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्ष मुनीष प्रताप चौहान प्रभारी निरीक्षक थाना पिलखुवा जनपद हापुड।
2. उ0नि0 संदीप मलिक थाना पिलखुवा जनपद हापुड।
3. उ0नि0 रविकान्त गिरी थाना पिलखुवा जनपद हापुड।
4. हे0का0 305 भगवती प्रसाद थाना पिलखुवा जनपद हापुड।
5. का0 802 पुष्पेन्द्र थाना पिलखुवा जनपद हापुड।
6. म0का0 295 उमा भारती थाना पिलखुवा जनपद हापुड।
7. म0का0 303 बोबी थाना पिलखुवा जनपद हापुड।
8. हे0का0 580 राजेन्द्र सिह थाना पिलखुवा जनपद हापुड।
9. हे0का0 709गौरव निर्वाल थाना पिलखुवा जनपद हापुड।
10. का0 383 मुकेश थाना पिलखुवा जनपद हापुड।
11. हे0का0 763 परीक्षित राणा थाना पिलखुवा जनपद हापुड।
12. हे0का0 533 विनीत थाना पिलखुवा जनपद हापुड।
13. का0 370 सोनू यादव थाना पिलखुवा जनपद हापुड।